झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने निमित्त नौ (09) माह के लिए अथवा प्रक्रियाधीन निविदा कार्य निष्पादनोपरांत कार्यादेश निर्गमण की तिथि तक (जो पहले घटित हो जाय) एतद् सामग्रियों की आपूर्त्ति इसके वर्त्तमान निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता से प्राप्त करने हेतु इनके अनुबंध अवधि के विस्तार की स्वीकृति।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के न्याय–निर्देश के अनुपालनों के तहत् केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अधीन कार्यान्वित पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत 06–36 माह के बच्चों, 06–72 माह के अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं को Take Home Ration (THR) स्वरूप मशीनीकृत संसाधित Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. विभागीय संकल्पांक–60, दिनांक–08.01.2021 के प्रावधानानुसार उक्त लाभार्थियों को वर्ष के 300 दिन Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) स्वरूप शिशु आहार एवं पौष्टिक मीठा दलिया (06–36 माह के बच्चों एवं 06–72 माह के अतिकुपोषित बच्चों के लिए) तथा पौष्टिक नमकीन दलिया एवं पौष्टिक मीठा दलिया (गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं के लिए) आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के माध्यम से निविदा द्वारा चयनित निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से मशीनीकृत संसाधित उक्त पोषणाहार सामग्रियों का प्रावधानित दर के तहत् क्रय कर आँगनबाड़ी केन्द्रों तक आपूर्त्ति कराई जा रही है।

3. उल्लेखनीय है कि –

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक–25.01.2023 के अधिसूचना द्वारा पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लाभार्थियों को प्रदाय पूरक पोषाणाहार के स्थूल एवं सुक्ष्म पोषक तत्वों (Macro & Micro Nutrients) के मानदंडों में संशोधन किया गया है जिसके आलोक में राज्य में वितरण हेतु पूरक पोषणाहार के रेसिपी में संशोधन अपेक्षित है।

ii. उक्त के पूर्व पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् Take Home Ration (THR) के लाभार्थियों के तीन (03) वर्ग निर्धारित थे जिसके आधार पर अबतक योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषणाहार वितरीत कराया जा रहा है।

तथापि दिनांक–25.01.2023 के अधिसूचना के आलोक में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् Take Home Ration (THR) के लाभार्थियों के कुल छह (06) वर्ग निर्धारित किये गये हैं जिसके आधार पर योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषणाहार वितरीत कराया जाना है।

iii. उपर्युक्त के दृष्टिगत् रेसिपी निर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, परिवहन एवं वितरण इत्यादि पर व्यय दर में वृद्धि संभावित है तथापि योजनान्तर्गत रेसिपी का दर निर्धारण भारत सरकार द्वारा अंतिम बार वर्ष 2017 में किया गया है।

iv. वित्तीय वर्ष–2025–26 के आम बजट के आलोक में Press Information Bureau द्वारा दिनांक–01.02.2025 के भारत सरकार के प्रेस ब्रीफिंग में निर्गत है कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् Cost Norms में संवृद्धि प्रस्तावित है।

v. यद्यपि National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Kundli, Sonipat, Haryana से रेसिपी संशोधन हेतु परामर्श प्राप्ति निमित्त कार्रवाई की गई तथापि उपर्युक्त के आलोक में यह लंबित है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत् ही विभाग द्वारा इस संभावना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Cost Norms में संवृद्धि शीघ्र कर लेगी जिसके आधार पर NFSA के Schecule-II के तहत् पोषणाहार के संशोधित मापदंडों के आधार पर रेसिपी निर्धारण की कार्रवाई सम्पादित कर निविदा निष्पादन कराते हुए आपूर्तिकर्त्ता एजेन्सियों का चयन एवं क्रय दर निर्धारण की कार्रवाई सम्पादित करा ली जायेगी तथा इस हेतु लगने वाले समय और लाभार्थियों को पोषणाहार का निर्बाध वितरण जारी रखने के आलोक में तीन माह के पोषणाहार के आपूर्त्ति प्राप्ति के लिए पूर्व चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ क्रेता समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के अनुबंध अवधि को विभागीय संकल्पांक–1502, दिनांक–21.05.2025 द्वारा विस्तार प्रदान किया गया।

5. हालाँकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् Cost Norms में संवृद्धि पर निर्देश प्रतीक्षित है एवं इसके शीघ्र प्राप्ति की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् लाभार्थियों को पूरक पोषणाहार वितरणार्थ इसके क्रय एवं आपूर्त्ति निमित्त आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन हेतु निविदा की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके तहत् निविदा अभिलेख प्रारूप गठित करने एवं इसके स्वीकृत्योपरांत निविदा प्रकाशित कर निष्पादन शीघ्र कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

6. उपर्युक्त कार्रवाई क्रेता निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड के स्तर से की जा रही है तथापि उनके द्वारा निविदा निष्पादन में तीन माह की अवधि लगने की संभावना जताई गई है। साथ ही इस अवधि के लिए योजनान्तर्गत वर्त्तमान के निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से अनुबंध के शर्त्तों के तहत् Take Home Ration (THR) स्वरूप मशीनीकृत संसाधित Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) की क्रय एवं आपूर्त्ति प्राप्ति जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

7. उल्लेखनीय है कि उक्त आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ अनुबंध के तहत् शर्त्त निम्नवत् निर्धारित हैं –

> "The contract will remain in force for a period of three (03) years from the date of execution of the agreement. The contract may further be extended for a maximum period of 01 (one) year with mutual consent of both the parties to the Contract but in no case extension of more than three months may be granted in single go."

इस आधार पर उक्त आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ अनुबंध की अवधि को तीन माह का अवधि विस्तार राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति पर विभागीय संकल्पांक–1502, दिनांक–15.05.2025 के माध्यम से प्रदान की गई थी जिसके आलोक में अंतिम Delivery Instruction निर्गत किये जा चुके हैं।

विदित हो कि विभाग को इन आपूर्त्तिकर्त्ताओं के विचारित अवधि विस्तार पर इनका सहमति पत्र उपलब्ध कराया गया है।

8. ध्यातव्य हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित केन्द्र प्रायोजित इस योजना के तहत् इसके लाभार्थियों को निर्बाध पोषणाहार का वितरण अपरिहार्य है तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य के लिए आवश्यक केन्द्रीय अंशदान की स–समय प्राप्ति एवं समुचित उपयोगिता के दृष्टिगत् योजनान्तर्गत पोषणाहार की निरंतर आपूर्त्ति प्राप्ति आवश्यक है। ऐसे में उपरोक्त विचारित निविदा में लगने वाले समय के दृष्टिगत् उपर्युक्त उल्लिखित आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ अनुबंध अवधि विस्तार पर विचार किया जाना आवश्यक है।

9. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् लाभार्थियों को पोषणाहार के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने निमित्त तीन (03)–तीन (03) माह के अवशेष तीन (03) समय स्लैब अर्थात कुल नौ (09) माह अथवा प्रक्रियाधीन निविदा कार्य के निष्पादनोपरांत कार्यादेश निर्गमण की तिथि तक (जो पहले घटित हो जाय) के लिए एतद् सामग्रियों की आपूर्त्ति वर्त्तमान के निर्माणकर्त्ता–सह–आपूर्त्तिकर्त्ता यथा–मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा०लि०, मेसर्स आदित्य फ्लॉर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल से प्राप्त करने हेतु इनके अनुबंध अवधि को अनुबंध के शर्त्तों एवं निर्धारित दरों के अनुरूप विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–23.12.2025 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07/म०स०/पू०पो०आ०–471/2024– 3940 **राँची, दिनांक** :– 26.12.2025

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : — 07/म०स०/पू०पो०आ०—471/2024— 3940 राँची, दिनांक :— 26-12-2025

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची/वेब मैनेजर, विभागीय वेब कोषांग, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/25

सरकार के सचिव